# @Shahjahanpurpol

## प्रेस नोट – सराहनीय कार्य दिनांक 19.05.2023

## थाना मदनापुर पुलिस को मिली बडी कामयाबी,

## 24 घण्टे के अन्दर हत्या की घटना मे नामजद अभियक्त को मय घटना मे प्रयुक्त एक अदद लाइसेंसी बन्दूक मय 03 जिन्दा कारतूस व 09 खोखा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार।

दिनांक 17/05/2023 को समय करीब 23.00 बजे नरेश यादव पुत्र पप्पू सिंह निवासी ग्राम मकरंदपुर थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर अपने घर के पडोस मे स्थित सरकारी नल पर पानी लेने गया था तभी नरेश यादव के ताऊ महावीर ने शराब के नशे मे आकर नरेश यादव के साथ गाली गलौज करने लगा था गाली गलौज की आवाज सुनकर नरेश यादव के पिता पप्पू सिंह आ गये और पप्पू सिंह ने महावीर को गाली देने से मना किया तो महावीर सिंह द्वारा अपनी लाइसेंसी बन्दूक से महावीर के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जो पप्पू सिंह के पेट मे लगा तथा दौराने इलाज पप्पू सिंह की मृत्य हो गयी। जिसके सम्बन्ध मे वादी नरेश यादव की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 18/05/2023 को मु0अ0स0 208/2023 धारा 302/504 भादवि पंजीकृत किया गया था।

श्री एस. आनन्द, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में श्री सुधीर जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) व श्री अमित चौरसिया क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण एवं श्री संतोष कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना मदनापुर के नेतृत्व में मु0अ0स0 208/2023 धारा 302/504 भादवि उपरोक्त में नामित अभियुक्त को 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार किया गया

उक्त के क्रम मे थाना मदनापुर पुलिस द्वारा **“ चित्ती मोड के पास ”** से अभियुक्त महावीर सिंह पुत्र राजाराम निवासी ग्राम मकरंदपर थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की हस्व निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त एक अदद लाइसेंसी बन्दूक मय निवाड कारतूस की पेटी जिसमे 03 जिन्दा कारतूस व 09 खोखा कारतूस को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मदनापुर पर विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-**

महावीर सिंह पुत्र राजाराम निवासी ग्राम मकरंदपर थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर।

**बरामदगी का विवरणः-**

एक अदद लाइसेंसी बन्दूक

एक निवाड कारतूस की पेटी जिसमे 03 अदद जिन्दा कारतूस व 09 अदद खोखा कारतूस

**अपराधिक इतिहास अभियुक्त महावीर**

| क्र0स0 | मु0अ0स0 | धारा | थाना | जनपद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 177/91 | 147/148/149/307 भादवि | मदनापुर | शाहजहांपुर |
| 2 | 18/94 | 307 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट | मदनापुर | शाहजहांपुर |
| 3 | 75/12 | 379/504/411/506 भादवि | मदनापुर | शाहजहांपुर |

**विवरण पूछताछः-**

दौराने पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि साहब हम तीन भाई है। मै सबसे बडा हूँ। मेरे दोनो भाई पप्पू व वीर बहादुर उर्फ झगंडी अलग- अलग अपने मकानो मे रहते है मेरी शादी नही हुई थी मै अपनी मां रामसनेई के साथ रहता था। करीब चार

वर्ष पूर्व मेरी मां खत्म हो गई थी। तब से मै अपने मकान मे अकेला रहता हूँ। परसो रात 11 बजे के आसपास मेरा भतीजा नरेश सरकारी नल पर पानी लेने आया था मै अपने घर के बाहर था तभी मुझसे नरेश कहने लगा कि अपनी बन्दूक मेरे नाम कर दो।

इसी बात को लेकर हम दोनो मे गाली गलौज हो गयी थी तो उसका पिता व मेरा भाई पप्पू सिंह और परिवार के सभी लोग मेरे पास आ गये थे मै उस वक्त शराब के नशे मे था तो मेरा भाई पप्पू कहने लगा के तुझे पुलिस को पकडवा देगे। मेरे भाई व उसकी पत्नी व उसके लडके सब आ गये तो मैने डराने के लिए बन्दूक निकाल ली थी। उसका घोडा चढा हुआ था। मुझसे फायर हो गया जो मेरे भाई पप्पू सिंह को लग गया था फिर मै डरकर घर से भाग आया। जब मै बोरी – चित्ती खडंजे पर पुलिया नहर के पास पहुँचा तो मुझे पुलिस की गाडी की बत्ती दिखाई दी। तो मैने वहीं पुलिया नहर के पास बनी समाधि मे चारो तरफ खडी झाडियो मे डर की वजह से बन्दूक को छिपा दिया था और मै पकडे जाने के डर से जंगल मे छिपा रहा। आज मै पुलिस से बचकर कि पकडा न जाऊ रात्रि मे बाहर जाना चाह रहा था कि आपने पकड लिया। साहब गलती हो गयी माफ कर दिजिये।

**<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-</u>**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर।
2. उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर।
3. का0 ललित कुमार थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर।
4. का0 विवेक थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर।